

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2024

No. 03/2024- Central Tax

S.O. 84(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number 30/2023-CT, dated the 31st July, 2023 published vide number S.O. 3424(E), dated the 31st July, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force from 1st day of January, 2024.

[F. No. CBIC-20001/7/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2024

संख्या 04/2024-केंद्रीय कर

का.आ. 85(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, माल जिसके ब्यौरे इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट यथास्थिति टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय, के अधीन आता है, के विनिर्माण में लगे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती है अर्थात्: -

1. पैकिंग मशीनों के ब्यौरे.— (1) इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण में लगे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिसूचना के प्रभावी होने के तीस दिवस के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 में पैकेजों को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग मशीनों के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण का आशय रखता है, और जिसे इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के पंद्रह दिवस के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 में पैकेजों को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग मशीनों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

(3) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान पर संस्थापित की जा रही किसी भी अतिरिक्त भरण और पैकिंग मशीन के ब्यौरे, ऐसे संस्थापन के चौबीस घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 की सारणी 6 के भाग (ख) में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) यदि मशीनों की घोषित क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना है, तो उसे उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे परिवर्तन के चौबीस घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 की सारणी 6क में प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 में ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जनित की जाएगी, जिसके ब्यौरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए हैं।